

निर्वाचन व्यायों का सार विवरण

भाग-I: निर्वाचन व्यायों का सार विवरण

I	अभ्यर्थी का नाम	श्री/ श्रीमती/ कुमारी <u>ओमराम</u>
II	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम	(125) ओसिया
III	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राजस्थान
IV	निर्वाचन का स्वरूप (राज्य विधान सभा/लोक सभा के साधारण निर्वाचन/उप/निर्वाचन का उल्लेख करें)	विधानसभा
V	परिणाम घोषित करने की तारीख	03/12/2023
VI	निर्वाचन अभिकर्ता का नाम एवं पता	बुद्धातम. बासांडी बालाहु टिंडी जायपुर
VII	यदि अभ्यर्थी राजनीतिक दल द्वारा खड़ा किया गया है, तो कृपया उस राजनीतिक दल के नाम का उल्लेख करें	आश्विन के प्रजासत्तान पाटी
VIII	क्या राजनीतिक दल एक मान्यता प्राप्त दल है?	हाँ/नहीं ✓

क्रमांक :

वर्णन :

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

नाम

Jhamdaw

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी

(299)

(125) ओसिया

उपर्युक्त अधिकारी ऑफिशिया

भाग-II अध्यर्थी के निर्वाचन व्यय का सार विवरण

क्र. सं.	विवरण	अप्रबुद्धी/अप्रकृति के नियन्त्रित प्रचारकर्ता द्वारा जागरण/ प्रशिक्षण द्वारा सहित (साथी में)	प्राप्तवैधिक द्वारा द्वारा उपलब्ध/ प्रशिक्षण द्वारा सहित (साथी में)	अन्य द्वारा उपलब्ध/प्राप्तवैधिक द्वारा मात्र (साथी में)	इन विवरणों का (अनुसूची-३), (४) वा (५) के साथ
1	१ अन सभाएं, रैली, जुलूस इत्यादि पर व्यय १ क : जन सभा, रैली जुलूस इत्यादि पर व्यय (अर्थात् राजनीतिक दल के स्टार प्रचारकों पर होने वाले व्यय को छोड़कर) (अनुसूची-१ के अनुसार संलग्न करें) १ ख : स्टार प्रचारक (को) के साथ जन सभा, रैली जुलूस इत्यादि पर किया गया व्यय (अर्थात् साधारण पाठी प्रचार वाले व्यय को छोड़कर) (अनुसूची-२ के अनुसार संलग्न करें)	—	—	—	—
II	अन संख्या-ख में उल्लिखित जन सभाओं, रैलियों जुलूस इत्यादि में प्रयुक्त प्रचार सामग्री को छोड़कर अन्य प्रचार सामग्री (अनुसूची-३ के अनुसार संलग्न करें)	<u>3550</u>	—	—	<u>3550</u>
III	(क) केबल नेटवर्क, बल्क एसएमएस या इंटरनेट और सोशल मीडिया सहित निजी स्वामित्व वाले समाचार पत्रों/टी.वी./रेडियो चैनल आदि में प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार (अनुसूची-४ के अनुसार संलग्न करें) (ख) केबल नेटवर्क, बल्क एसएमएस या इंटरनेट और सोशल मीडिया सहित अध्यर्थी के स्वामित्व या अध्यर्थी को प्रयोजित करने वाले राजनीतिक दल के स्वामित्व वाले समाचार पत्रों/टी.वी./रेडियो चैनल आदि में प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार (अनुसूची-४ के अनुसार संलग्न करें)	—	—	—	—
IV	अध्यर्थी द्वारा प्रयुक्त प्रचार वाहन (नो) पर व्यय (अनुसूची-५ के अनुसार संलग्न करें)	<u>157500</u>	—	—	<u>157500</u>
V	प्रचार कार्यकर्ताओं/अभिकर्ताओं का व्यय (अनुसूची-६ के अनुसार संलग्न करें)	—	—	—	—
VI	अन्य कोई प्रचार व्यय	<u>80411</u>	—	—	<u>80411</u>
VII	आपराधिक मामलों के सम्बन्ध में घोषणा के प्रकाशन पर उपलब्ध व्यय (अनुसूची-१० के अनुसार संलग्न)	—	—	—	—
VIII	VIII वर्षुअल प्रचार-अभियान पर होने वाला व्यय (अनुसूची-११ के अनुसार संलग्न करें)	—	—	—	—
	कुल योग	<u>241461</u>	—	—	<u>241461</u>

(300)

नियामित विद्यार्थी कारण वादाधिकारी

(३०३) ओमिता

आनंद उजात्थान

भाग-III अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त की गई निधियों के स्रोत का सार

विवरण	राशि (रुपये में)
2	3
लिंगांचन प्रचार के लिए प्रयुक्त निजी निधि की राशि (अनुसूची-7 के अनुसार संलग्न करें)	25146।
पार्टी (पार्टियों) से नकदी या चैक इत्यादि के रूप में प्राप्त एकमुश्त राशि (अनुसूची-8 के अनुसार संलग्न करें)	—
किसी व्यक्ति/कंपनी/फर्म/संघों/वैयक्तिक निकायों इत्यादि से ऋण, उपहार या चंदे इत्यादि के रूप में प्राप्त एकमुश्त राशि (अनुसूची-9 के अनुसार संलग्न करें)	—
कुल योग	25146।

कानूनी संगठन का आधिकारी
(120) रुपये
सुप्रखण्ड आधिकारी ऑफिस